दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 15 ▸ अंक : 2 ▸ गाजियाबाद, फरवरी, 2019 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

औधोगिक नगरी की खोई पहचान को वापस पा..... P-5

अक्षय कुमार ने डीएम को किया सम्मानित

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

गाजियाबाद। विश्व शौचालय दिवस की प्रतियोगिता में गाजियाबाद को प्रदेश में प्रथम व देश की टॉप 12 की सूची में स्थान मिला था। इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी को मुम्बई में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एंबेस्डर अक्षय कुमार ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के लिए करीब सवा साल पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य शुरू किए गए थे। **शेष पृष्ठ 3 पर**

औधोगिक नगरी की खोई पहचान को वापस पा रहा गाजियाबाद : स्मिता सिंह

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

गाजियाबाद। बीता वर्ष औधोगिक नगरी गाजियाबाद और पडोसी जनपद हापुड औधोगिक विकास के लिए याद किया जायेगा। इन दोनो पडोसी जनपदो में बीता साल देश भर के आए उद्यमियों ने करोडो का निवेश किया। **शेष पृष्ठ 5 पर**

सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया वेज बोर्ड और टर्मिनेशन के लंबित मामले तय समयसीमा में निपटाने के आदेश दिए

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

नई दिल्ली। देशभर में मजीठिया वेतनमान के लिए संघर्ष कर रहे प्रिंट मीडिया के साथियों के लिए नए साल में देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ी राहत भरी खबर दी है। मजीठिया को लेकर दायर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन पर सोमवार 28 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश माननीय रंजन गोगोई व माननीय संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई कर कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाया है।

शेष पृष्ठ 6 पर

फजीर्वाड़े पर दो श्रम प्रवर्तन अधिकारी निलंबित

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

फतेहपुर। श्रमिक की मृत्यु के बाद परिजनों को दिए जाने वाले लाभ में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। उप श्रमायुक्त और सहायक श्रमायुक्त कानपुर की प्रारंभिक रिपोर्ट पर लेबर कमिश्नर अनिल कुमार ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजेश श्रीवास्तव एवं विनोदनी अवस्थी (अब कानपुर में तैनात) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही वर्ष 2017 में सेवा निवृत्त हो चुके श्रम प्रवर्तन अधिकारी राम सुरेश पर कार्रवाई के निर्देश दिए है। **शेष पृष्ठ 6 पर**

मोदी का 2019 का बजट पीयूष गोयल की नजर में

-2. Instead of giving straight exemption on income upto Rs.5,00,000/- finance minster twisted the situation by giving Rebate under section 87A. Thus, if income is more than 5 lakh, assessee cannot claim rebate under section 87A and assessee will need to pay tax on income above Rs.2,50,000/-. Explained with below example:-

Particulars	Situation I	Situation II
Income	5,00,000	5,00,100
Computation of Tax		
0-250000 @ 0%	0	0
250001-500000 @5%	12500	12500
500001-500100 @20%	0	20
Rebate u/s 87A	12500	0
Net tax	0	12520
Add: Cess @4%	0	501
Net Tax Liability	0	13021

Particulars	FY 2018-19 (in rupees)	FY 2019-20 (in rupees)
Basic Salary + DA	377,200	377,200
Other Taxable Allowances	172,800	172,800
Gross Salary	**550,000**	**550,000**
Standard Deduction (deducted)	40,000	50,000
Total Income under the head 'salary'	**510,000**	**500,000**
Income Tax	14,500	12,500
Rebate under section 87A (deducted)	0	12,500
Total tax payable after Rebate	14,500	0
Surcharge @10% / 15%	0	0
Total tax payable after surcharge	14,500	0
Education Cess @ 4%	580	0
Total tax, surcharge and education cess	**15,080**	**0**

Total tax saved after budget: Rs 15,080

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ रियायत की हुई घोषणा

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

नई दिल्ली। बजट 2019 में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है बल्कि कर में रियायत दी गई है। आयकर छूट की सीमा अभी भी 2.5 लाख रुपये है और इसे बढ़ाकर दोगुना नहीं किया गया है। साफ शब्दों में समझे तो प्रस्तावित बदलाव के बाद पांच लाख रुपये तक आय वाले करदाताओं को इस रियायत का लाभ मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 87ए के तहत छूट के दायरे को बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दिया गया है। यह उनके लिए हैं, जिनकी आय 5 लाख रुपये तक है।

रिबेट, टैक्स की वह रकम होती है, जिसका भुगतान टैक्सपेयर्स को नहीं करना होता है.

मसलन अगर किसी व्यक्ति की सकल आय वित्त वर्ष 2019–20 में 6.5 लाख रुपये है और वह सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का निवेश कर चुका है तो अब उसे 5 लाख रुपये की आय पर ही टैक्स का भुगतान करना होगा और उसकी कर देनदारी 12,500 रुपये (2.5 लाख का 5 फीसद) होगी। लेकिन चूंकि छूट 12,500 रुपये की है, इसलिए उसे 5 लाख वाले स्लैब में शून्य कर का भुगतान करना होगा।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 2019–20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते समय इसकी घोषणा की। उनकी घोषणा के बाद यह समझा गया कि आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि पांच लाख रुपये तक की आय वाले टैक्स पेयर्स को पूरी कर रियायत मिलेगी, इस प्रकार उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी।

होम लोन और एजुकेश लोन पर ब्याज व अन्य खर्चो समेत निर्धारित निवेश और अतिरिक्त कटौती के साथ 6.5 लाख रुपये और उससे अधिक आय वाले लोगों को किसी प्रकार का इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। विशेषज्ञों की माने तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि इनकम टैक्स एक्ट 87 ए के तहत रियायत दी गई है, जो पहले 3.5 लाख रुपये की आय वालों के लिए 2,500 रुपये थी। अगर किसी व्यक्ति की कर देनदारी 12,500 रुपये है तो प्रस्तावित रियायत के बाद वह अब जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर कर देनदारी उससे अधिक है तो उसको 2.5 लाख रुपये की छूट सीमा से ऊपर की आय पर कर की पूरी राशि का भुगतान करना होगा। **शेष पृष्ठ 7 पर**

योगी जी श्रम विभाग में इस तरह भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा?

प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा से 'एल.एल.ए.ए.यू.पी.' ने शिकायत दर्ज कराई

- श्रम न्यायालय फिरोजाबाद को नोएडा में शिफ्ट किया जाये क्योंकि वहां पर मात्र 12 मुकदमे है जिनकी वजह से अनावश्यक भार विभाग पर पड़ रहा है: सत्येन्द्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष एलएलएएयूपी
- श्रम विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी है: आर.सी. माथुर चेयरमैन

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

गाजियाबाद। प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा से एसोसिएशन की एक बैठक हुई जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कई समस्याओं पर चर्चा की जिसमें से पहली समस्या कांट्रेक्टर लाइसेंस के नवीनीकरण एवं संशोधन में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया जिसकी वजह से ऑनलाइन सुविधा का लाभ कोई भी नहीं उठा पा रहा है, किसी भी नियोक्ता को जमानत राशि को वापस लेने में समस्या आ रही है. कांट्रेक्टर लाइसेंस से सम्बंधित ऑनलाइन डाटा तुरंत अपडेट किया जाये. दूसरी समस्या श्रम विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी है जिसकी वजह से डाटा अपलोड होने में समस्या आ रही है. पहले विभाग में 4 सहायक श्रमायुक्त हुआ करते थे जो की वर्तमान में मात्र 2 ही हैं जबकि कार्य बढ़ गया है. तीसरी समस्या श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की कमी है मात्र एक पीठासीन अधिकारी है जो की पूर्णकालिक नहीं है तथा सप्ताह में मात्र 2 दिन ही बैठता है जबकि नोएडा में लगभग 5500 मुकदमे हैं जो की उ प्र में सर्वाधिक हैं. इसके लिए मांग की गयी की श्रम न्यायालय फिरोजाबाद को नोएडा में शिफ्ट किया जाये क्योंकि वहां पर मात्र 12 मुकदमे है जिनकी वजह से अनावश्यक भार विभाग पर पड़ रहा है इसलिए फिरोजाबाद श्रम न्यायालय को नोएडा में शिफ्ट करने से इस समस्या का उचित समाधान हो जायेगा. चौथी समस्या भवन एवं अन्य सन्निर्माण के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है. प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा ने इन समस्याओं को अविलम्ब दूर करने का आश्वासन दिया है. बैठक में आर सी माथुर, सत्येन्द्र सिंह, अरविन्द श्रीवास्तव, डॉ. एस एस उपाध्याय एवं कमलेश उपस्थित थे.

योगी जी श्रम विभाग में इस तरह भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा?

कांट्रेक्टर लाइसेंस के नवीनीकरण एवं संशोधन में ऑनलाइन सुविधा दे दी गयी है जो की सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो कर रह गयी है क्योंकि विभाग द्वारा डाटा अपडेट न किये जाने से उसका फायदा नियोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है और विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से ही डाटा अपडेट नहीं होने दिया जा रहा है तथा उप श्रमायुक्त नोएडा ने कहा है की श्रमायुक्त उ प्र ने साइट को ब्लाक कर दिया है जिसकी वजह से हम लोग डाटा अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, **शेष पृष्ठ 3 पर**

– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है. श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को प्रत्येक माह रु. 1000/– मात्र मान देय सरकार से देना तय हुआ था लेकिन आज तक कोई भी भुगतान मान देय के नाम पर नहीं किया गया है।

– जब भी कोई मंत्री या सचिव दिल्ली आता है तो या उसकी फैमली का कोई सदस्य आता है तो हम लोगों की ड्यूटी उसकी सेवा में लगा दी जाती है।

– हम लोग ईमानदार भी बने रहे यह कैसे संभव है हम लोगों का भी परिवार है हमें उनका भी पेट पालना है।

–एक भुक्तभोगी श्रम प्रवर्तन अधिकारी

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING																							
	U.P. GENERAL		U.P. ENGG.		DELHI MINIMUM WAGES		RAJASTHAN MINIMUM WAGES		GUJRAT MINIMUM WAGES		PUNJAB MINIMUMWAGES		HARYANA MINIMUMWAGES		UTTARAKHAND MINIMUMWAGES	
	MINIMUM WAGES		MINIMUM WAGES		MINIMUM WAGES		MINIMUM WAGES		MINIMUM WAGES		MINIMUMWAGES		MINIMUMWAGES		MINIMUMWAGES	
	W.E.F.		W.E.F.		W.E.F.		W.E.F.		W.E.F.		W.E.F.		W.E.F.		W.E.F.	
	01/10/18 TO 31/03/2019		01/08/18 TO 31/01/2019		10/1/2018		1/1/2018		01/04/2018 TO 30/09/2018		3/1/2018		1/1/2018		01-10-2018 TO 31-03-2019	
CATEGORY OF WORKERS	BASIC +DA		BASIC +DA		BASIC+DA		BASIC+DA		BASIC+DA	ZONE-II	BASIC+DA		BASIC+DA		BASIC+DA	
UN SKILLED	7675.45		8975.63		14000		5338.00		8117.20	7909.20	7852.17		8497.56		4980	
SEMISKILLED	8443.00		9856.3		15400		5798.00		8325.20	8117.20	8632.17		*		5445	
SEMISKILLED-A	*		*		*		*		*	*	*		8922.43		*	
SEMISKILLED-B	*		*		*		*		*	*	*		9368.54		*	
SKILLED	9457.49		10942.06		16962		6058.00		8559.20	8325.20	9529.17		*		5915	
SKILLED A	*		*		*		*		*	*	*		9836.97		*	
SKILLED B	*		*		*		*		*	*	*		10328.83		*	
HIGHLY SKILLED	*		*		*		7358.00		*	*	10561.17		10845.27		*	

खसरा-खतौनी और नक्शे में जल्द दर्ज करना होगा संशोधन

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

लखनऊ। खसरा–खतौनी और नक्शों में संशोधन दर्ज करने मे हीलाहवाली नहीं चलेगी। हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश भू–लेख नियमावली के अनुसार खसरा–खतौनी और भू–मानचित्रों में नियमित तौर पर संशोधन और नामांकन दर्ज किए जाएं। उप्र राजस्व संहिता की धारा–32 में व्यवस्था है कि जिलाधिकारी प्रत्येक राजस्व ग्राम का मानचित्र और खसरा रखेगा और समय–समय पर गांव की सीमा में या सर्वेक्षण संख्या में हुए सभी परिवर्तनों को उसमें दर्ज कराएगा। यदि इन अभिलेखों में कहीं गलती हुई हो तो उसे ठीक कराएगा।

धारा–32 में प्रावधान है कि जिलाधिकारी के नियंत्रण में रहते हुए एसडीएम, तहसीलदार या राजस्व निरीक्षक खतौनी–खसरा और मानचित्र में सभी परिवर्तन को दर्ज करेंगे और गलतियों को दुरूस्त करेंगे। वहीं धारा–38 के अनुसार खसरा–खतौनी और मानचित्र में हुई गलतियों के सुधार के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का जिक्र है। प्रायः खसरा–खतौनी और भू–मानचित्रों में संशोधन नहीं किए जाते हैं, न ही इन अभिलेखों में की गई गलतियां सुधारी जाती हैं। जब जमीन पर कब्जे से जुड़े विवाद राजस्व अदालतों में पहुंचते हैं तो पीठासीन अधिकारी राजस्व अमले से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुना देते हैं, वो भी बिना राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टियों की तस्दीक किए।

एक दिन में प्रोसेस हो जाएगा आयकर रिफंड

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

नई दिल्ली। आयकरदाताओं को अब रिफंड के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने आयकर रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 4,242 करोड़ रूपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना पूरी होने के बाद एक दिन में ही आयकर रिटर्न प्रोसेस हो सकेगा, जिससे रिफंड जारी होने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इससे करदाताओं को बहुत जल्द आयकर रिफंड मिल सकेगा। पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इसकी जानकारी देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आयकर विभाग की इंटीग्रेटेड ई–फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस पर करीब 4,241.97 करोड़ रूपये खर्च आएगा।

परियोजना का जिम्मा इन्फोसिस को दिया गया है। फिलहाल आयकर रिटर्न प्रोसेस होने में लगभग 63 दिन का समय लगता है। यह परियोजना 18 महीने में पूरी होने की उम्मीद है। तीन माह के परीक्षण के बाद लांच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि करदाताओं की सुविधा के लिए कई अन्य सेवाएं भी शुरू की गई है। कैबिनेट ने मौजूदा सीपीसी–आइटीआर 1.0 परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2018–19 में 1482.44 करोड़ रूपये की लागत को मंजूरी दे दी है। गोयल ने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष में आयकर विभाग ने 1.83 लाख करोड़ रूपये के रिफंड जारी कर दिए हैं। इस परियोजना से आयकर विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.

❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)

http://www.legalipl.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
legalipl243@gmail.com

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD

❖ EVENTS MANAGEMENT
❖ PR MANAGEMENT
❖ ARTISTS MANAGEMENT

http://www.takshakindia.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

उद्योगों को सीवेज का ट्रीट किया गया पानी कब उपलब्ध कराएगा नगर निगम

गाजियाबाद में उद्योगों को सीवेज का पानी ट्रीट कर दिए जाने की थी योजना

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

गाजियाबाद। अवैध जल दोहन को रो. कने के उद्देश्य से गाजियाबाद नगर निगम द्वारा सीवेज के ट्रीट किए गए पानी को उद्योगों को सप्लाई करने की योजना सिर्फ योजना बन कर रह गयी है। और आज भी उद्योग व बिल्डर अवैध रूप से ग्राउंड वाटर का दोहन कर रहे हैं।

बता दें कि बीते साल एक निजी कंपनी ने निगम के डूंडाहेड़ा और इंदि. रापुरम स्थित दो प्लांटों में टेरीटरी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट को मंजूरी के लिए जीएमसी बोर्ड के समक्ष रखा गया था। कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा इसको मंजूरी मिलने के बाद योजना को लागू किया जाएगा। वाटर वर्क डिपार्टमेंट के मुता. बिक, गाजियाबाद में 10 औद्योगिक बेल्ट हैं। डार्क जोन में आने और एनजीटी तथा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा ग्राउंड वाटर निकालना बैन किए जाने के बाद भी शहर में उद्योग पानी का अवैध रूप से दोहन कर रहे हैं। इससे निपटने को इंदिरापुरम और डूंडाहेड़ा में प्लांटों में खराब पानी को ट्रीट कर और इसे सही तरीके से कनेक्ट किए गए पाइप लाइन नेटवर्क के जरिये उद्योगों तक पहुंचाने की योजना थी। इंदिरापुरम में टेरीटररी प्लांट को बिठाने का खर्च 234 करोड़ और डूंडाहेड़ा में 217 करोड़ रुपये का अनुमान आया था।

❑ ग्राउंड वाटर के अवैध रूप से हो रहे दोहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाई थी योजना

योजना के मुताबिक इंदिरापुरम टेरीटरी प्लांट से साहिबाबाद, राजेंद्र नगर और लोनी रोड के औद्योगिक इलाकों को पानी उपलब्ध कराएगा जाएगा जहां 700 उद्योग हैं। वहीं, डूंडाहेड़ा टेरीटरी प्लांट कविनगर और बुलंदशहर औद्योगिक इलाके के उद्योगों को ट्रीट किया गया पानी पहुंचाएगा। पानी की आपूर्ति पर मीटर के जरिये नजर रखी जाएगी।

इसके लिए नगर निगम ने उद्योगों से प्रति लीटर 41 रुपये चार्ज करना तय किया था। दावा किया गया था कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार होने में करीब 2 साल लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये योजना शासन के बस्ते से बाहर निकलने का इन्तेजार कर रही है।

एयरपोर्ट पर समान जांच को देने पड़ सकते हैं रुपए

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

नई दिल्ली। आइजीआइ एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को सामान की जांच के लिए पचास रूपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है। विमान संचालन कंपनियों को एक्सरे से सामानों की जांच के लिए अतिरिक्त पैसे देने होंगे। यह पैसे विमान की क्षमता के मुताबिक तय किए गए हैं। विमानों को घरेलू उड़ान के लिए 110 रूपये से लेकर 880 रूपये तक का भुगतान करना होगा। वहीं दूसरे देशों में जाने–वाले विमानों को 149.33 डॉलर से 209.55 डॉलर देने होंगे। देश के विभिन्न शहरों में आने–जाने वाले 25 सीटों वाले विमानों को 110 रूपये, 50 सीट वाले विमानों को 220 रूपये, 100 सीट वाले को 495 रूपये, 200 सीट वाले को 770 रूपये व इससे ज्यादा सीटों वाले विमानों को 880 रूपये देने होंगे। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय विमानों में भी यह नियम लागू किए गए हैं।

दिल्ली में 22 हजार औद्योगिक इकाइयां की गई बंद

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

नई दिल्ली। राजधानी के आवासीय और अनाधिकृत क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे 21,960 उद्योगों को नगर निगमों ने पहले चरण में बदं कर दिया है। दूसरे चरण में इसी तरह से संचालित 30 हजार उद्योगों को बंद किया जाएगा। यह जानकारी उपराज्यपाल अनिल बैजल को कूड़ा प्रबंधन और गैर अनुमोदित क्षेत्रों (नरेला, बवाना, मुंडका और उनके आसपास के क्षेत्रों) में उद्योगों को बंद करने के मुद्दे पर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) की बैठक में दी गई। बताया गया कि नरेला व बवाना औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयों की ओर से ठोस कचरे का सही ढंग से निष्पादन न करने पर इकाइयों पर 1. 825 करोड़ रूपय जुर्माना लगाया गया है। डीपीसीसी द्वारा करीब 82. 50 लाख रूपए जुर्माने की वसूली की गई है और 41,580 मीट्रिक टन ठोस/औद्योगिक कचरे को उठाया गया है।

मेट्रो और हिंडन एयरबेस में घरेलू विमान सेवा का उद्घाटन अब एक साथ होगा: डीएम

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

गाजियाबाद। न्यू बस अड्डा मेट्रो और हिंडन एयरबेस में घरेलू विमान सेवा का उद्घाटन अब एक साथ फरवरी में होगा। यह जानकारी गाजियाबाद जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने दी है। हालांकि अभी इसकी तारीख निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि 20 से 25 फरवरी के आसपास दोनों सेवाएं शुरू हो जाएंगी। जानकारी के मुताबिक, उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर सकते हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि मेट्रो का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब सिर्फ इसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिलनी बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले हफ्ते में इसे ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। इसके बाद मेट्रो का सेफ्टी ट्रायल शुरू हो जाएगा। बता दें कि, दिलशाद गार्डन से न्यू बस अड्डा तक रेड लाइन मेट्रो को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसमें कुल 9 मेट्रो स्टेशन हैं। सभी स्टेशनों का सेफ्टी ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए डीएमआरसी के सेफ्टी विभाग के निद. `शक खुद आकर निरीक्षण करेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि, हिंडन डोमेस्टिक एयरपोर्ट का काम भी तेजी से चल रहा है। इसकी कनेक्टिविटी के लिए कच्ची सड़क तैयार हो चुकी है, मौसम सामान्य होते ही इसे पक्का कर दिया जाएगा। रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाने और टर्मिनल के लिए स्ट्रक्चर 20 फरवरी तक तैयार कर लिया जाएगा। यहां संसाधनों को जुटाने का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) का है।

एडीएम फाइनेंस सुनील कुमार ने बताया कि उद्घाटन की तारीख पर अभी संशय बरकरार है। 2 जनवरी को ही डीएम रितु माहेश्वरी ने हिंडन घरेलू विमान सेवा टर्मिनल का निरीक्षण किया था। इस दौरान नगर निगम, जल निगम और एएआई के अधिकारी भी साथ में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी को एक बार और साइट का निरीक्षण सभी विभागों के साथ मिलकर किया जाएगा। उसके बाद ही उद्घाटन की तारीख तय की जाएगी।

योगी जी श्रम विभाग में इस तरह भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा?

अब सच्चाई क्या है यह तो विभाग ही जाने.

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है. श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को प्रत्येक माह रु.1000/– मात्र मान देय सरकार से देना तय हुआ था लेकिन आज तक कोई भी भुगतान मान देय के नाम पर नहीं किया गया है जिसकी वजह से श्रम प्रवर्तन अधिकारियों में अत्यंत रोष है कई अधिकारियों ने दबी जबान से बताया की हम लोग अपनी गाड़ी से प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के पंजीकरण हेतु जाते हैं जिसमें 1000 रुपये से कई गुना अधिक खर्च कर देते हैं जिसका कोई पैसा विभाग से नहीं मिलता है जबकि हमारी जेब से पैसा खर्च हो रहा है दूसरा **जब भी कोई मंत्री या सचिव दिल्ली आता है तो या उसकी फैमली का कोई सदस्य आता है तो हम लोगों की ड्यूटी उसकी सेवा में लगा दी जाती है** जिसमें उनको तथा उनके फैमली मेंबर को शौपिंग भी करवानी होती है शॉपिंग का भी पैसा हम लोगों की जेब से जाता है. और हर हफ्ते कोई न कोई आता ही रहता है अब हम लोग श्रम विभाग का काम कैसे करें? और हम लोगों से उम्मीद की जाती है की **हम लोग ईमानदार भी बने रहे यह कैसे संभव है हम लोगों का भी परिवार है हमें उनका भी पेट पालना है.**

श्रमिक को खुद ही रजिस्ट्रेशन करना होता है जबकि रजिस्ट्रेशन में 90 दिन कम से कम कार्य करने का प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है जिसे ही प्राप्त करना टेढ़ी खीर है क्योंकि कोई भी यह प्रमाण पत्र देने को तैयार नहीं है श्रमिक को रजिस्ट्रेशन करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है फिर इनका रजिस्ट्रेशन कैसे संभव है। श्रमिक को तो अपना व अपने परिवार का पेट भरने के लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने से ही फुर्सत नहीं है। यही जानकारी देने एवं श्रमिकों को समझाने के लिए श्रम विभाग के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को कैंप लगाने पड़ते हैं. जिसका पैसा विभाग से नहीं मिलता है उनको अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं।

अक्षय कुमार ने डीएम को किया सम्मानित

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

गाजियाबाद। विश्व शौचालय दिवस की प्रतियोगिता में गाजियाबाद को प्रदेश में प्रथम व देश की टॉप 12 की सूची में स्थान मिला था। इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी को मुम्बई में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एंबेस्डर अक्षय कुमार ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के लिए करीब सवा साल पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य शुरू किए गए थे। अक्टूबर 2017 में प्रशासन ने स्वच्छता से समृद्धि की ओर मेरा गाजियाबाद स्लोगन दिया और स्वच्छा अभियान की शुरूआत की। प्रशासन ने एक दो गांवों से काम शुरू किया और यहां बेहतर काम करने वाले प्रधानों और ग्रामीणों को प्रोत्साहित व सम्मानित करना शुरू किया। ग्रामीणों का उत्साह बढ़ा और एक से दूसरे गांव में यह मुहिम रंग लाई। इसके बूते गाजियाबाद ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में बाजी मारी। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एंबेस्डर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी की मुंबई में मुलाकात हुई, जिसमें उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उनके साथ सीडीओ रमेश रंजन मौजूद रहे। विश्व शौचालय दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में देशभर में विजयी होने वाले 12 जिलाधिकारियों को भी यहां सम्मानित किया गया।

> स्वच्छता अभियान में गाजियाबाद को देश में नंबर लाने के लिए हरसंभव प्रयास है। गांव-गांव में लोगों को जागरूक करने का काम और तेजी के साथ किया जाएगा। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ रही हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकतां यही जागरूकता इस अभियान को सफल बनाएगी।
>
> **–रितु माहेश्वरी, जिलाधिकारी**

उद्योग विहार
निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र
Editorial
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
गाजियाबाद, फरवरी, 2019

सम्पादकीय

विकास का बजट

सत्येन्द्र सिंह

इस वर्ष आम चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया। पूर्ण बजट चुनाव के बाद पेश होगा। इसलिए इसमें पिछले वित्त वर्ष की उपलब्धियां अधिक गिनाई गई हैं, प्रावधानों की घोषणा कम की गई है। पर इस बजट से इस बात का संकेत तो मिलता ही है कि सरकार का ध्यान किन क्षेत्रों पर अधिक केंद्रित है। इस बजट में किसानों, मध्यवर्गीय वेतनभोगियों और छोटे कारोबारियों को राहत देने पर जोर है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह बजट चुनाव को ध्यान में रख कर पेश किया गया है। यह कोई नई बात नहीं है, हर सरकार चुनाव पूर्व के अंतरिम बजट में यही करती है। बजट पर सबसे अधिक नजर वेतनभोगियों की रहती है कि सरकार ने आयकर में कितनी राहत दी है। सो, इस बार वेतनभोगियों को संतोषजनक राहत मिली है। पांच लाख रुपए वार्षिक आय वाले लोगों को कोई कर भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। पांच से दस लाख तक की आय वालों को बीस फीसद कर चुकाना होगा। मानक कटौती की सीमा चालीस हजार से बढ़ा कर पचास हजार रुपए कर दी गई है। इसी तरह चालीस हजार रुपए तक के ब्याज पर कोई कर नहीं लगेगा। इससे अवकाश प्राप्त लोगों को भी राहत मिलेगी। यह फैसला करने का साहस इसलिए भी सरकार कर पाई है कि मौजूदा वित्तवर्ष में आयकर दाताओं की संख्या बढ़ी है, कर भुगतान में भी वृद्धि दर्ज हुई है। फिर यह भी उम्मीद है कि आने वाले समय में आयकर दाताओं की तादाद और बढ़ेगी। आय कर में छूट के साथ ही भविष्यनिधि बीमा योजना की राशि भी बढ़ा दी गई है। इक्कीस हजार रुपए तक वेतन पाने वालों के लिए न्यूनतम बोनस सात हजार रुपए करने और ग्रेच्युटी की सीमा दस लाख रुपए से बढ़ा कर बीस हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। इसी तरह छोटे किसानों की दशा में सुधार की मंशा से दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों के खाते में छह हजार रुपए सीधा सहायता राशि भेजने का प्रस्ताव है। इस तरह किसानों की कर्ज की समस्या से पार पाने का रास्ता निकालने का प्रयास होगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में भी बढ़ोतरी की गई है। पंद्रह हजार रुपए तक वेतन पाने वालों के लिए अवकाश प्राप्ति के बाद न्यूनतम तीन हजार रुपए पेंशन का प्रावधान भी किया गया है। मध्यवर्गीय लोगों के घर खरीदने पर जीएसटी में छूट देने का प्रस्ताव है। इस तरह भवन निर्माण क्षेत्र में आई शिथिलता कुछ दूर होने की उम्मीद की जा सकती है। इस तरह इस बजट में मध्यवर्ग, किसान, मजदूर और निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को भरपूर राहत देने का प्रयास किया गया है। रेल बजट में इस बार अब तक का सबसे अधिक बजटीय प्रावधान किया गया है। रेल सेवाओं को तेज, सुविधाजनक और अत्याधुनिक बनाने का संकल्प लिया गया है। रेल लाइनों के सुधार और विस्तार में और तेजी लाने पर जोर है। इस बार यात्री किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी से बचा गया है। यानी कुल मिला कर इस बजट में लोगों को खासी राहत देने और विकास कार्यों को और गतिशील बनाने पर जोर है। हालांकि सवाल है कि आयकर में राहत देने, किसानों-मजदूरों को वित्तीय मदद मुहैया कराने, बोनस, पीएफ जैसे मदों में खर्च बढ़ाने का जो बोझ खजाने पर पड़ेगा, उसकी भरपाई सरकार कहां से करेगी, देखने की बात होगी।

श्रम विभाग के साथ वार्ता एलएलएएयूपी की संपन्न

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

गाजियाबाद। 'लॉ ऑफ लेबर एडवाइजर्स एसोसिएशन उ.प्र.' के पदाधिकारियों की एक बैठक प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह की अध्यक्षता में श्रम विभाग के साथ संपन्न हुई। एक बैठक सहायक निदेशक कारखाना सुरेन्द्र बहादुर एवं बृजेश सिंह के साथ हुई जिसमें यह तय किया गया की सभी कारखानों के लाइसेंस के रिन्यूअल समय पर पूर्व की भांति कर दिए जायेंगे तथा इस विषय में जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रदूषण, अग्नि सुरक्षा) के लिए यदि हम आवेदन ऑनलाइन करके उसकी प्रति लगा देंगे तो उसे ही स्वीकार कर लिया जायेगा।

इसके पश्चात एक बैठक उपश्रमायुक्त पी के सिंह के साथ हुई जिसमें जिन बिन्दुओं पर आपसी सहमति बनी वे इस प्रकार हैं – कांट्रेक्टर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन का बैकलॉग डाटा ऑनलाइन 20 दिन के अन्दर अपडेट कर दिया जायेगा। जिसमें वर्तमान में अपडेट करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि श्रमायुक्त उ प्र ने साइट को लॉक कर रखा है। जिसे जल्द ही खुलवा कर जल्द से जल्द अपडेट करने का प्रयास किया जायेगा। स्टाफ की कमी है जिसके लिए शासन को लिखा गया है उम्मीद है जल्द ही पूरी की जाएगी। पेशकार संबन्धित केस की डायरी में वर्तमान दिनांक के सामने ही अगली दिनांक एवं केस की स्थिति लिखेंगे ताकि हम लोगों को (दिनांक के लिंक होने से) डायरी से अगली दिनांक लिखने में सहूलियत हो।

चूँकि 50 से कम पर अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है अतः उसकी जमानत राशि को लोग वापस ले सकते हैं। एसोसिएशन के द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले अवकाशों में एसोसिएशन के सदस्य की किसी भी फाइल में पूर्व की भाँति एक्स पार्टी नहीं किया जायेगा। यदि भूल वश एक्स पार्टी आर्डर हो भी जाता है तो उसे आसानी से रेस्टोरेशन आवेदन देकर री–स्टोर करवाया जा सकता है। किसी भी केस में कम से कम तीन बार सुनवाई का मौका दिया जायेगा उसके बाद ही एक्स पार्टी आर्डर किया जायेगा। बैठक में अशोक श्रीवास्तव, आर सी माथुर, आई एस वर्मा, आर के गौर, अरविन्द श्रीवास्तव, डॉ. एस एस उपाध्याय, वी डी व्यास, ओ पी व्यास, निरंजन गुप्ता, वीरेंदर यादव, योगेश कुमार, नीरज सिन्हा, कमलेश, सुजीत सिन्हा, धर्मवीर, बृजमोहन, धर्म पाल इत्यादि लोग मौजूद थे।

पृथ्वी और हमारी सेहत के लिए संतुलित भोजन का नया फॉमूर्ला

अपनी सेहत के साथ अगर आप पृथ्वी को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो डाइनिंग टेबल पर अभी से बदलाव शुरू कर दीजिए। पिछली करीब आधी सदी के दौरान खानपान की आदतों में विश्व स्तर पर बदलाव आया है और उच्च कैलोरी तथा पशु स्रोतों पर आधारित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ा है। इस कारण मोटापा और गैर–संचारी बीमारियां बढ़ी हैं और पर्यावरण को नुकसान हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खुद को स्वस्थ रखने के साथ अपने ग्रह को भी स्वस्थ रखना है, तो आहार के कुछ ऐसे मानक तय करने होंगे, जो अपनी सेहत के साथ–साथ पृथ्वी की सेहत के अनुकूल हों। मेडिकल शोध पत्रिका लैन्सेट में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन में पृथ्वी के अनुकूल ऐसे आहार की सिफारिश की गई है, जो मानव स्वास्थ्य के साथ–साथ टिकाऊ विकास के लिए भी अच्छा हो। शोधकर्ताओं के अनुसार, वैश्विक स्तर पर यदि आहार और खाद्य उत्पादन में बदलाव लाया जाए तो वर्ष 2050 और उससे भी आगे के लिए दुनिया के 10 अरब लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो सकता है। लैन्सेट आयोग द्वारा यह अध्ययन किया गया है, जिसमें 16 देशों के 37 विशेषज्ञ शामिल थे। इस अध्ययन के अनुसार, स्वास्थ्यप्रद भोजन में सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें, फलियां, मेवे और असंतृप्त तेल मुख्य रूप से शामिल होने चाहिए। इसके अलावा, भोजन में समुद्री खाद्य पदार्थ, पॉल्ट्री उत्पाद, रेड मीट, प्रसंस्कृत मीट, प्रसंस्कृत चीनी, परिष्कृत अनाज और स्टार्च वाली सब्जियों की कम से कम मात्रा होनी चाहिए। रेड मीट जैसे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक खाद्य उत्पादों के सेवन में 50 प्रतिशत तक कमी लानी होगी। दूसरी ओर फलियां, मेवे, फल और सब्जियों की खपत में 100 फीसदी की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस बदलाव के लिए बहु–क्षेत्रीय नीतियों के निर्माण और उन पर दृढ़ता से अमल करने का सुझाव दिया गया है। लैन्सेट पत्रिका ने अपने संपादकीय में कहा है कि वैश्विक खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन के लिए कई स्तरों पर बदलाव करने होंगे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी नीतियों का एकीकरण और नियमन शामिल है। अध्ययनकर्ताओं में शामिल पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. श्रीनाथ रेड्डी के अनुसार, ष्अगले तीस वर्षों में भोजन की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए पोषण उपलब्ध कराने में सक्षम पर्यावरण के अनुकूल कृषि एवं खाद्य प्रणालियां अपनानी होंगी। डॉ. रेड्डी के अनुसार, "फल, सब्जियों, मेवे, फलियों और अनाज के अलावा मछली या फिर पॉल्ट्री उत्पादों की संतुलित मात्रा के साथ कभी–कभार रेड मीट की अल्प मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। पर, जिन देशों में रेड मीट का उपभोग अधिक होता है, वहां शाकाहारी खाद्य उत्पादों के सेवन को प्रोत्साहित करना होगा। भारत में दलहन आधारित प्रोटीन स्रोतों की उपलब्धता बढ़ाते हुए फलों और सब्जियों के उत्पादन, संरक्षण, प्रसंस्करण, आपूर्ति तथा खपत में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जबकि, चीनी की खपत को कम करना भी एक लक्ष्य होना चाहिए।" इस अध्ययन में शामिल एक अन्य शोधकर्ता, सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण ने इंडिया साइंस वायर को बताया कि "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधों पर आधारित प्रोटीन और मांस के संयमित उपभोग पर आधारित हमारा पारंपरिक भोजन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आहार के रूप में उभरा है। जैसा कि मैंने बार–बार कहा है, यह केवल मांस के बारे में नहीं है, बल्कि कितना खाया जाता है और कैसे उगाया जाता यह भी महत्वपूर्ण है। लैन्सेट आयोग ने भी अब इस बात पर अपनी मुहर लगा दी है।"

उद्योग विहार
निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

औधोगिक नगरी की खोई पहचान को वापस पा रहा गाजियाबाद : स्मिता सिंह

❑ एक साल में गाजियाबाद व हापुड़ में 431 उद्योग लगे और पांच सौ करोड़ का हुआ निवेश

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

गाजियाबाद। बीता वर्ष औधोगिक नगरी गाजियाबाद और पडोसी जनपद हापुड औधोगिक विकास के लिए याद किया जायेगा। इन दोनो पडोसी जनपदो में बीता साल देश भर के आए उद्यमियों ने करोडो का निवेश किया। खास बात यह है कि इन दोनो जनपदो में जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक 451 छोटे–बडे उद्योग स्थापित किए गये और करीब पांच सौ करोड़ का निवेश भी किया गया। साथ ही पांच हजार रोजगारों का सृजन भी हुआ है। पिछले साल की अपेक्षा यह सभी दो से ढाई गुना ज्यादा है। उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम की आरएम स्मिता सिंह ने एक खास मुलाकात में बताया कि गाजियाबाद में कुल 11 जबकि हापुड़ में मात्र दो ही औद्योगिक क्षेत्र हैं।

स्मिता सिंह के मुताबिक पिछले साल ट्रांसफर लेवी से 27 करोड़ तथा अलाटमेंट व अन्य मदों से करीब 38 करोड़ रूपये विभाग को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी उद्योग लाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से गाजियाबाद में उद्यमी आने के बजाय पलायन कर रहे थे लेकिन इस बार उद्यमियों को पलायन भी रूका है। उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति में भी सुधार हुआ है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उद्यमियों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यूपीएसआईडीसी ने अपने वर्क कल्चर

में भी काफी ज्यादा परिवर्तन किया है। कई–कई साल से आवंटित प्लाटों पर उद्योग नहीं लगाने वाले आवंटियों पर दबाव बनाया गया उन्हें नोटिस जारी किए गए। साथ कई प्लाटों का आवंटन निरस्त भी किया गया। जिसका नतीजा यह है कि आवंटियों ने उद्योग लगाने शुरू कर दिया। जिनमें काफी उद्योग लग चुके हैं जबकि काफी निर्माणाधीन है। यही कारण है कि गाजियाबाद व उससे सटे जनपद हापुड़ में उद्योगों ने रूचि दिखायी तथा उद्योग लगाए। उन्होंने कहा कि इस साल कुल 451 नए उद्योग लगाए गए जिनमें करीब पांच सौ करोड़ का निवेश उद्यमियों ने किया है। एक सवाल के जबाव में उन्होंने माना कि इन दोनो जिलो में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है यह उसी का परिणाम है कि इन जिलों में अब पडोसी राज्यो के उद्यमियों का रूझान बढा है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में मैटरो रेल और एलिवेटिड रोड के बन जाने से यहां और प्रदेशो व विदेशी निवेशकों के निवेश करने की सम्भावनाये बढ गयी है।

नए नियम के तहत 1 फरवरी से 153 रूपए में 100 चैनल देख सकेंगे ग्राहक

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

गाजियाबाद। दूरसंचार नियामक ट्राई के नए नियमों के अंतर्गत ग्राहक 153.40 रूपये प्रति महीना (जीएसटी समेत) खर्च कर 100 चैनल देख सकते हैं।

इसके तहत ग्राहकों को 31 जनवरी तक अपने पसंदीदा चैनलों का चुनाव करना होगा और किसी भी चैनल के लिए अधिकतम फीस 19 रूपये तय की गई है। गौरतलब है कि यह नियम 1 फरवरी 2019 से लागू हो जाएगा।

यंत्रों के अनुदान के लिए करेंगे जागरूक

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

गाजियाबाद। शासन ने कृषि विभाग को कृषि क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले उन उपकरणों की बिक्री के लिए किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। जिनमें सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है। कृषि विभाग ऐसे यंत्रों की बिक्री बढ़ाने के लिए कृषि गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को जागरूक करेगा। कृषि विभाग किसानों को कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले तमाम यंत्रों में अनुदान देती है। सिंचाई के लिए जल स्त्रोत से खेत तक लाने में पानी की बर्बादी रोकने के लिए शासन से एचडीपीई पाइप, पीवीसी, बूवेन फैब्रिक्स एचडीपीई लैमिनेटेड फ्लैट ट्यूब आदि पर मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान देती है। वहीं डीजल पंप सेट, स्माल ऑयल एक्सट्रक्शन यूनिट पर भी मूल्य का 50 प्रतिशत तक अनुदान है। तिलहनी फसलों के लिए भी साईजोबियम कल्चर, पीएसबी, जेडएसबी, माइक्रोराइजा पर भी 50 प्रतिशत तक का अनुदान है।

वहीं स्वचालित नैपसेक स्प्रेयर, डस्टर, शक्ति चलित (बैट्री ऑपरेटेड स्प्रेयर) पर भी 50 प्रतिशत अनुदान है। इसके अलावा अन्य भी कृषि यंत्र हैं। जिन पर सरकार से अनुदान प्राप्त है। जिला कृषि अधिकारी राकेश मौर्या ने बताया कि कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषि वेबसाइट पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।

भुगतान में देरी पर ठेकेदारों पर दर्ज होंगे मुकदमे

❑ विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों के ईएसआई, ईपीएफ भुगतान के लिए पोर्टल बनाया, जिसमें पारदर्शिता के लिए संबंधित लेखे पोर्टल पर अपडेट किए जाने थे, लेकिन ठेकेदारों द्वारा संविदा कर्मियों के ईपीएफ, ईएसआई का पैसा जमा नहीं किया गया।

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

गाजियाबाद। संविदा कर्मियों के ईपीएफ और उनके भुगतान में देरी करने वाली फर्म व ठेकेदारों के खिलाफ विद्युत विभाग फर्म व ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा। इसके लिए पीवीवीएनएल एमडी आशुतोष निरंजन ने जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया है।

इसके अलावा वितरण खंड तृतीय और पंचम के लेखाकारों के खिलाफ लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों के ईएसआई, ईपीएफ भुगतान के लिए पोर्टल बनाया, जिसमें पारदर्शिता के लिए संबंधित लेखे पोर्टल पर अपडेट किए जाने थे, लेकिन ठेकेदारों द्वारा संविदा कर्मियों के ईपीएफ, ईएसआई का पैसा जमा नहीं किया गया। जिसकी वजह से पोर्टल पर कुछ भी अपडेट नहीं हो पाया।

शिकायत पर ठेकेदारों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एमडी ने ऐसे ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बैंक समाधान वितरण संबंधी लेखे न देने पर गाजियाबाद जोन के तृतीय और पंचम खंड में तैनात ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को कहा है।

जाहंगीराबाद में तैनात लेखाकार और अवर अभियंता का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।

सैमसंग विवाद का जिम्मेदार श्रम विभाग

प्रबंधन ने 9 मांगों पर दी सहमति, 3 पर होगा विचार

कर्मियों का उत्पात सैमसंग कंपनी को करोड़ों का नुकसान

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

नोएडा। नोएडा सेक्टर 80 स्थित दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सैमसंग में कर्मचारियों ने उत्पात मचाया, जोकि अगले दिन में जारी रहा। इस दौरान उन्होंने प्लांट में उत्पादन ठप कर दिया, जिससे कंपनी को करोड़ों रूपये का नुकसान उठाना पड़ा है। सूत्र बताते हैं कि समझौते के तुरंत बाद दोबारा से कर्मचारियों के धरने पर बैठने के बाद कंपनी प्रबंधन ने सोमवार तक प्लांट बंद करने का निर्णय लिया था।

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

नोएडा। सैमसंग कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच विवाद दूसरे दिन भी जारी रहा। हड़ताली कर्मचारी शनिवार आधी रात तक फेस–2 के सेक्टर–80 स्थित कंपनी परिसर में डटे रहे। पुलिस–प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में 9 मांगों पर तो प्रबंधन ने सहमति जताई, लेकिन 3 मांगों पर फैसला नहीं हो पाया। कंपनी के आला अधिकारी इन मांगों पर निर्णय लेंगे। जिसके बाद कर्मचारी आगे की रणनीति तय करेंगे।

शिफ्ट में नियमों के बदलाव में शुक्रवार रात को ही कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर दिया था। शनिवार आधी रात तक कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच गतिरोध बरकरार रहा। प्रशासनिक दखल के बाद कर्मचारियों की 9 मांगों पर प्रबंधन ने सहमति जताई। कर्मचारी लिखित आश्वासन देने की मांग पर अड़े रहे, जिसे प्रबंधन को मानना पड़ा।

सामान्य शिफ्ट की समयसीमा आठ घंटे करने, सालाना 10 हजार रूपये वेतन बढ़ोत्तरी और नाइट शिफ्ट, अलाउंस देने की मांग पर आधी रात तक सहमति नहीं बन पाई। बताया जा रहा है कि इन मांगों को लेकर स्थानीय प्रबंधन ने कपंनी के आला अधिकारियों को सूचित किया है।

श्रमिक की समस्याओं को नहीं सुना जाएगा तो गतिरोध तो बढ़ेगा ही। सरकार की जिम्मेदारी है कि उद्योग प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच संतुलन बनाए।

–गंगेश्वर दत्त, जिलाध्यक्ष, सीटू

ऐसी नौबत इसलिए आयी क्योंकि श्रम विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और कर्मचारियों के आक्रोश का अंदाजा नहीं लगा पाया। श्रम विभाग नोएडा को अब अपने सुविधा शुल्क की चिन्ता छोड़कर उद्योगों की समस्याओं पर ध्यान देना होगा। अन्यथा विस्फोटक स्थिति के ओर गंभीर होने में समय नहीं लगेगा।

–सत्येन्द्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष एलएलएएयूपी

इसके लिए कोरिया से आए अधिकारी सोमवार को वार्ता कर फैसला लेंगे। हालांकि, सोमवार को भी यूनिट में उत्पादन बंद रहने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच यूनिट पुलिस छावनी में तब्दील नजर आई।

जो मांगे मानी गयी

–दिनांक 12 जनवरी 2019 से रात्रि पाली का शिफ्ट ब्रेक समय पुराने समय के अनुसार ही कर दिया गया है।

–बस का समय भी पुराने समय सारिणी के अनुसार ही कर दिया गया है।

–इसके साथ ही 2019 के Block Holidays पिछले वर्षों के भाति कर दिया जायेगा।

–Leave Entitliement के अनुसार अप्लाई करने पर नियमानुसार 32 दिनों का सुचारू रूप से प्रदान की जाएगी।

–Toilet जाने तथा पानी पीने पर कोई रोक नहीं होगी तथा आकस्मिक बीमार होने पर तत्काल अवकाश दिया जायेगा।

–बीमार होने पर नियमानुसार 15 दिन का मेडिकल अवकाश तथा यात्रा के लिए अतिरिक्त समय जोड़ते हुए दी जाएगी।

–मेडिकल क्लेम के अंतर्गत सभी योग्य कर्मचारियों को सुविधा दी जाएगी।

–ऐसे सुपरवाइजर जिन्होंने कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया हो उनके विरूद्ध जांच कर उचित कारवाही की जाएगी।

–Communication Forum गठित करके समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

–किसी कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उसके परिवार के सदस्य को Compensation (जैसे स्वर्गीय सोनू गुप्ता के परिवार को INR 11,25000 दिए गए है) दिया जायेगा तथा मृतक के आश्रित को योग्यता अनुसार सेवा में योजित किया जायेगा।

निम्न अन्य बिन्दुओं पर विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा :

1. 8 घंटे की General Shift की टाइमिंग
2. 10,000 वार्षिक Increment.
3. Night Shift Allowance

उद्योग विहार
निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र
उद्योग–जगत
06 P.
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
गाजियाबाद, फरवरी, 2019

सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया वेज बोर्ड और टर्मिनेशन के लंबित मामले तय समयसीमा में निपटाने के आदेश दिए

देशभर के सभी हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को नोटिस जारी किए गए

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

नई दिल्ली। देशभर में मजीठिया वेतनमान के लिए संघर्ष कर रहे प्रिंट मीडिया के साथियों के लिए नए साल में देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ी राहत भरी खबर दी है। मजीठिया को लेकर दायर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन पर सोमवार 28 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश माननीय रंजन गोगोई व माननीय संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई कर कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाया है।

कर्मचारियों की ओर से देश के जाने–माने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण व उनके सहयोगी अधिवक्ता गोविंद जी ने पैरवी की। श्री भूषण ने कर्मचारियों के पक्ष में जोरदार दलीलें दीं। भूषण जी ने माननीय अदालत के सामने कई साल से लंबित पड़े मामले व साथ ही जमतउपदंजपवद के लंबित पड़े मामलो को रखा।इसके बाद माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि देशभर में मजीठिया के मामलों का निराकरण श्रम न्यायालय निश्चित तय अवधि में करें। इस दौरान हाईकोर्ट के स्टे का मामला भी उठाया गया।

इस पर भी कोर्ट ने आदेश दिए कि हाईकोर्ट मजीठिया के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करे और स्टे देने से बचे। साथ ही वर्तमान में हाईकोर्ट में जो मामले लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसके अलावा सालों से चल रहे बर्खास्तगी और ट्रांसफर के मामलों में भी कर्मचारियों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इन मामलों को भी श्रम न्यायालयों को निर्धारित समय सीमा में ही निपटाना होगा। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कर्मचारियों की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। पूर्व के कटू अनुभवों से सीख लेते हुए इस बार बिलकुल तय रणनीति के मुताबिक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को लड़ा गया। इससे सफलता मिली है।

इस मामले में दिल्ली से महेश कुमार मजीठिया क्रांतिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई, नोएडा से विवेक त्यागी, रतनभूषण प्रसाद, राजेश निरंजन, मध्यप्रदेश से राजेंद्र मेहता संयोजक स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एमपी, मौ फैजान खान महासचिव स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एमपी, हिमाचल प्रदेश से राजेश गोस्वामी, राजेश शर्मा, पंजाब जालंधर से मानसिंह, सुनील कुमार, विकास सिंह लुधियाना से धीरज सिंह साथियों का विशेष सहयोग रहा। यहां के सभी साथी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने पूरे मामले के लिए न केवल धन बल्कि दस्तावेज और अन्य माध्यमों से केस में अपना सहयोग किया।

प्रभावी रणनीति से मिली सफलता

ज्ञात हो कि देशभर के श्रम न्यायालयों में करीब दो साल से मजीठिया के प्रकरण विभिन्न् कारणों से लंबित हैं। अखबार प्रबंधन श्रम न्यायालयों के अंतरिम आदेशों को लेकर हाईकोर्ट जाकर मामले में स्टे लेकर लंबित करने का प्रयास कर रहा है। इससे मामलों में अनावश्यक देरी हो रही है। इसके अलावा प्रबंधन की मंशा थी कि किसी भी श्रम न्यायालय से कोई अवार्ड पारित न हो सके। अखबार मालिकों की इस रणनीति से निपटने के लिए दिल्ली, नोएडा, पंजाब, से लेकर भोपाल के साथियों ने पूरी व्यूह रचना तैयार की।

इसके बाद अधिवक्ता गोविंद जी के माधयम से प्रख्यात अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी को सारे मामले से अवगत कराया और उनसे अनुरोध किया गया कि वे इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखें, जिसके बाद नवंबर माह में एक आईए दाखिल हुई। अवमानना मामलों की गलतियों से सबक लेते हुए इस बार पूरा प्लान तैयार किया गया था ताकि कोर्ट में इस बार कानूनी रूप से किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। सभी के साझा प्रयासों और सहयोग से इस बार कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली है। सभी साथियों को सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा आदेश के अनुसार ही अपनी आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए।

फर्जीवाड़े पर दो श्रम प्रवर्तन अधिकारी निलंबित

फतेहपुर। श्रमिक की मृत्यु के बाद परिजनों को दिए जाने वाले लाभ में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। उप श्रमायुक्त और सहायक श्रमायुक्त कानपुर की प्रारंभिक रिपोर्ट पर लेबर कमिश्नर अनिल कुमार ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजेश श्रीवास्तव एवं विनोदनी अवस्थी (अब कानपुर में तैनात) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही वर्ष 2017 में सेवा निवृत्त हो चुके श्रम प्रवर्तन अधिकारी राम सुरेश पर कार्रवाई के निर्देश दिए है। जांच में सत्यापन करने वाले तत्कालीन तहसीलदारों व खंड विकास अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। वर्ष 2015–16 में जिले के 142 श्रमिकों के परिजनों को 3.19 करोड़ रूपये की धनराशि मृत्यु सहायता के रूप में दी

❑ 142 श्रमिक परिजनों को दिया गया 3.19 करोड़ का लाभ

गई थी। खास बात ये है कि जिन 142 श्रमिकों के प्रत्येक परिवार 2.25 लाख का लाभ दिया गया उनका पंजीयन मृत्यु तिथि के बाद किया गया था, जबकि नियमतः योजना का लाभ उसी श्रमिक परिवार को मिलता है जिसने मजदूरी करते वक्त अपना पंजीयन बतौर श्रमिक कराया हो। जांच अफसरों को विभागीय तौर पर जो दलील दी गई उसमें उसमें स्पष्ट है कि जिन श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीयन मृत्यु तिथि के बाद हुआ उन श्रमिकों का मैनुअल पंजीयन विभाग के पास आवेदन के आधार पर कर लिया गया था। जांच अधिकारियों ने इसे अनियमितता मानते हुए कार्रवाई की है। श्रमायुक्त सुविज्ञ सिंह सहायक ने बताया कि लाभ देने से पहले श्रम प्रवर्तन अधिकारी, तहसीलदार और बीडीओ की संयुक्त टीम ने इन परिवारों की जांच की थी। जांच में सही पाये जाने पर लाभ दिया गया। लेकिन उस समय के अफसरों ने काम में लापरवाही की, इसके कारण लाभार्थियों का आनलाइन पंजीयन देर हुआ है। एडीएम जेपी गुप्ता ने बताया कि शासन से जांच हो रही है, जो भी दस्तावेज मांगे जा रहे उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। रही बात फर्जीवाड़े की तो वर्ष 2015 से ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था लागू थी, लेकिन तत्कालीन 'अफसरों ने किस मंशा से आवेदन ऑनलाइन नहीं किए ये जांच में ही स्पष्ट होगा। अभी तो इसे लापरवाही ही कहा जाएगा।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बड़ी चूक, लीक हुई लाखों बैंक खातों की जानकारी

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

नई दिल्ली। क्या आपका बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है? अगर हां, तो ये खबर आपको चिंता में डाल सकती है. बुधवार को सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने की–सर्वर को सुरक्षित करना भूल गया, जिसके कारण कई खातों की जानकारी सार्वजनिक होने का खतरा है. बताया जा रहा है कि इस सर्वर में बैंक खातों की जानकारी, खाते में मौजूद बैलेंस से जुड़ी काफी संवेदनशील जानकारी मौजूद थी.

Techcrunch की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें किसी रिसर्चर ने इसकी सूचना दी थी. जिसके बाद उन्होंने

❑ रिसर्चर के द्वारा बताया गया था कि बैंक की ओर से सर्वर पर किसी पासवर्ड को नहीं रखा गया है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति डाटा को एक्सेस कर सकता है.

इसके बारे में जानने की कोशिश की. रिसर्चर के द्वारा बताया गया था कि बैंक की ओर से सर्वर पर किसी पासवर्ड को नहीं रखा गया है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति डाटा को एक्सेस कर सकता है. हालांकि, अभी ये साफ नहीं है कि ये सर्वर कबतक बिना किसी पासवर्ड के साथ ओपन रहा. Techcrunch ने जब इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सवाल पूछा तो बैंक ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से मना कर दिया. रिपोर्ट के अनुसार, बिना पासवर्ड का ये हिस्सा SBI Quick था जिसके जरिए बैंक की ओर से किसी भी खाता धारक को फोन कॉल या मैसेज किया जा सकता है. बैंक की वेबसाइट पर भी इस बात की जानकारी दी हुई है, ''इस सिस्टम के जरिए आप अपने खाते से जुड़ी सभी जानकारियां अपने फोन पर पास सकते हैं.'' रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि जिस दौरान ये सर्वर बिना किसी पासवर्ड के ओपन था तो उन्होंने देखा कि वहां से सभी खाताधारकों को मैसेज भेजे जा रहे हैं. सोमवार को ही बैंक की ओर से करीब 30 लाख मैसेज भेजे गए. सर्वर के जरिए आप पिछले एक महीने के सभी मैसेज भी देख सकते थे. गौरतलब है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक है, जिसमें करोड़ों लोगों के बैंक खाते हैं. ऐसे में इस प्रकार की रिपोर्ट खातों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है. आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं.

मजीठिया पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश का बरेली श्रम न्यायालय में दिखा असर

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

बरेली। मजीठिया वेतनमान के लिए संघर्ष कर रहे साथियों के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत से नए साल के साथ ही राहत भरी खबर मिली है, सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल व सभी राज्यों के श्रमायुक्तों को नोटिस जारी होने का पूरा असर तत्काल ही श्रम न्यायालयों पर नजर आने लगा।

बुधवार को बरेली के श्रम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर देखने को मिला। मजीठिया वेज बोर्ड के अवार्ड के लिए हिंदुस्तान समाचारपत्र के वरिष्ठ कॉपी एडिटर राजेश्वर विश्वकर्मा के केस की बुधवार को सुनवाई थी। प्रतिपक्षी हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड को वादी को

कंपनी के कागजात जमा करने को ज्यादा समय देने से किया इनकार, सुनवाई के लिए अंतिम 2 दिन की मोहलत, फिर 2 फरवरी की डेट लगी, पीठासीन अधिकारी का बदला नजर आया रुख, मजीठिया के अन्य केसों में भी दो दिन बाद फिर सुनवाई, हिन्दुस्तान के पैरोकारों की श्रम न्यायालय ने टालमटोल करने पर लगाई फटकार

मांगी गई कंपनी की बैलेंसशीट व अन्य कागजात प्रस्तुत करने थे, कंपनी हर बार की तरह इस बार भी बहानेबाजी कर लंबी तारीख लेने की तैयारी में थी मगर पीठासीन अधिकारी जस्टिस विनोद कुमार का रुख बेहद कड़ा रहा और उन्होंने कंपनी के पैरोकारों की फटकार लगाते हुए साफ कहा कि अब सिर्फ अंतिम मोहलत दी जा रही है। दो दिन से ज्यादा का समय हरगिज नहीं मिलेगा। 2 फरवरी तक वादी पक्ष को मांगे गए कागजात सौंप दें। अन्यथा कार्यवाही की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी। अब लंबी तारीखें हरगिज नही मिलेंगी।

बता दें कि बुधवार को श्रम न्यायालय बरेली में मजीठिया केसों में अब तक जहां एक सप्ताह व उससे ऊपर की डेट मिल रही थी, वहां दो या तीन दिन की ही डेट लगाई गई। नियोक्ता को चेतावनी के साथ ही अंतिम अवसर दिया गया।

ज्ञात हो कि देशभर के श्रम न्यायालयों में करीब दो साल से मजीठिया के प्रकरण विभिन्न कारणों से लंबित हैं। अखबार प्रबंधन श्रम न्यायालयों के अंतरिम आदेशों को लेकर हाईकोर्ट जाकर मामले में स्टे लेकर लंबित करने का प्रयास कर रहा है। इससे मामलों में अनावश्यक देरी हो रही है। इसके अलावा प्रबंधन की मंशा थी कि किसी भी श्रम न्यायालय से कोई अवार्ड पारित न हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर बरेली में बुधवार को देखने को मिला, जब श्रम न्यायालय ने मजीठिया मामले में मात्र दो दिन बाद की डेट देते हुए कागजात जमा करने के लिए नियोक्ता को अंतिम अवसर दिया। इससे मजीठिया मामले में संघर्ष कर रहे साथियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

मोदी का 2019 का बजट पीयूष गोयल की नजर में

3. Individual residents with income over Rs 10 lakh but less than Rs 50 lakh per annum

Particulars	FY 2018-19 (in rupees)	FY 2019-20 (in rupees)
Basic Salary + DA	17,77,200	17,77,200
Other Taxable Allowances	12,22,800	12,22,800
Gross Salary	**30,00,000**	**30,00,000**
Standard Deduction (deducted)	40,000	50,000
Total Income under the head 'salary'	**29,60,000**	**29,50,000**
Income Tax	7,00,500	6,97,500
Rebate under section 87A (deducted)	0	0
Total tax payable after Rebate	7,00,500	6,97,500
Surcharge @10% / 15%	0	0
Total tax payable after surcharge	7,00,500	6,97,500
Education Cess @ 4%	28020	27900
Total tax, surcharge and education cess	**7,28,520**	**7,25,400**

Total tax saved after budget: Rs 3,120

2. Individual residents with income over Rs 5 lakh but less than Rs 10 lakh per annum

Particulars	FY 2018-19 (in rupees)	FY 2019-20 (in rupees)
Basic Salary + DA	7,77,200	7,77,200
Other Taxable Allowances	2,22,800	2,22,800
Gross Salary	**10,00,000**	**10,00,000**
Standard Deduction (deducted)	40,000	50,000
Total Income under the head 'salary'	**9,60,000**	**9,50,000**
Income Tax	1,04,500	1,02,500
Rebate under section 87A (deducted)	0	0
Total tax payable after Rebate	1,04,500	1,02,500
Surcharge @10% / 15%	0	0
Total tax payable after surcharge	1,04,500	1,02,500
Education Cess @ 4%	4,180	4,100
Total tax, surcharge and education cess	**1,08,680**	**1,06,600**

Total tax saved after budget: Rs 2,080

The main take away for salaried individuals from the Budget 2019 was the reduced income tax burden. Here is a clear clarification on how the tax on your income for the financial year 2019-20 will be computed.

- Standard deduction has been increased from Rs 40,000 to Rs 50,000
- No income tax will be payable by those who earn an annual income less than Rs 5 lakhs. A tax rebate was announced, which means if your income is Rs 6.5 lakh, you will not have to pay tax as you can additional Rs 1.5 lakhs tax benefit for investments exempt from tax under sec 80C.

मनरेगा के आवंटन में 9 फीसद का इजाफा, 60,000 करोड़ रुपये का मिला आवंटन

उम्मीद के मुताबिक ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से मोदी सरकार ने बजट 2019–20 में रोजगार गारंटी को प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए मनरेगा को 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन देने का फैसला किया है। पिछले बजट के मुकाबले यह रकम 9 फीसद अधिक है। गोयल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर इस रकम को बढ़ाया जा सकता है।

पिछले बजट में सरकार ने इस योजना को 55,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। वहीं 2017–18 में इस योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये दिए गए थे। रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक साल के भीतर 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सरकार ने ग्रामीण रोजगार को प्राथमिकता दी है और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार इस योजना को होने वाले आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सरकार ने 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

इसके साथ ही उम्मीद के मुताबिक ही सरकार ने अपने अंतरिम बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को तरजीह दी है। किसानों को सीधी राहत की घोषणा करते हुए सरकार ने 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को 6 हजार रुपये की मदद दिए जाने का एलान किया है। किसानों को यह रकम सीधे उनके खाते में दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की इस योजना से 12 करोड़ किसान परिवार को फायदा मिलेगा और इस योजना पर सरकार को 75 हजार करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ेगा और इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी।

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ रियायत की हुई घोषणा

बजट 2019 में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है बल्कि कर में रियायत दी गई है। आयकर छूट की सीमा अभी भी 2.5 लाख रुपये है और इसे बढ़ाकर दोगुना नहीं किया गया है। साफ शब्दों में समझे तो प्रस्तावित बदलाव के बाद पांच लाख रुपये तक आय वाले करदाताओं को इस रियायत का लाभ मिलेगा।

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 87ए के तहत छूट के दायरे को बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दिया गया है। यह उनके लिए हैं, जिनकी आय 5 लाख रुपये तक है।

मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब इस प्रकार है–

2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष की आमदनी टैक्स फ्री।

2,50,000 से 5,00,000 रुपये तक की आमदनी पर 5 प्रतिशत टैक्स।

5 लाख से 10 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत टैक्स।

10 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्स।

श्रम हितकारी केन्द्र गाजियाबाद के समस्त भवन का कब्जा न दिये जाने के विरोध में संगम की अनिश्चितकालीन हड़ताल

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

गाजियाबाद। औद्योगिक विधि प्रतिनिधि संगम गाजियाबाद आदि के द्वारा श्रम हितकारी केन्द्र को श्रम न्यायालयों को दिये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका सं0 15635/1998 दायर की की गयी थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने रिट का अन्तिम निस्तारण करते हुए श्रमायुक्त उ0प्र0 महोदय को इस प्रकरण को अन्तिम रूप से निपटारा करने के लिये आदेशित किया गया था। जिसकी तारतम्यता में माननीय श्रमायुक्त उ0प्र0 श्री राजू शर्मा तत्कालिक श्रमायुक्त उ0प्र0 कानपुर ने अपने आदेश सं0 584–589/श्र0शि0–98, कानपुर दिनांकित 07.07.1998 के द्वारा उक्त मामले को निस्तारित करते हुए निम्न आदेश पारित किए थे।

''...यहां मैं भी आदेश करूंगा कि उपश्रमायुक्त, गाजियाबाद अविलम्ब श्रम हितकारी केन्द्र के शासकीय भवन को रिक्त कराकर श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को नियमानुसार हस्तगत कर दें तथा यदि खुर्जा व बुलन्दशहर में भी इन केन्द्रों (श्रम हितकारी केन्द्र–होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक केन्द्रों) को फिलहाल स्थापित करना संभव नहीं हो पा रहा हो तो इन केन्द्रों के स्टाफ को उप

श्रमायुक्त कार्यालय में समायोजित कर शासकीय हितों में उनका उपयोग करें।

हमारे अभी–अभी संज्ञान में आया है कि उक्त आदेश जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में किये गये थे, की अवहेलना करते हुए श्रम कार्यालय गाजियाबाद द्वारा स्थित श्रम हितकारी केन्द्र गाजियाबाद के भवन में पूर्व में चल रहे होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक केन्द्रों के बन्द हो जाने के बाद उक्त भवन को उप निदेशक कारखाना गाजियाबाद को दे दिया गया है जो कि पूर्ण रूप से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों व माननीय तत्कालीन श्रमायुक्त उ0प्र0 कानपुर के आदेशों के पूर्णतः विरूद्ध है एवं असंवैधानिक है।

श्रम न्यायालय में औद्योगिक विधि प्रतिनिधि संगम गाजियाबाद ने पूर्व में उक्त केन्द्रों को श्रम न्यायालयों को हस्तगत कराने के लिये अनेक बार प्रतिवेदन दिये हैं जिनमें मुख्य रूप से प्रतिवेदन दिनांक 28.03.18 व दिनांक 20.08.18 के हैं परन्तु उन पर कोई संज्ञान न लेते हुए उक्त केन्द्रों को उप निदेशक कारखाना गाजियाबाद को हस्तांतरित कर दिया है जो कि माननीय उच्च न्यायलय व श्रमायुक्त उ0प्र0 कानपुर के आदेशों की पूर्ण रूप से अवमानना है तथा संगम के सदस्यों व वादकारियों में इस संबंध में गंभीर रोष व आक्रोश व्याप्त हो गया है जिस कारण संगम के सदस्यों ने तत्काल प्रभाव से श्रम न्यायालय प्रथम एवं द्वितीय गाजियाबाद, श्रम न्यायालय नोएडा, श्रम कार्यालय गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ व बुलंदशहर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने का आह्वान करते हुए हड़ताल घोषित कर दी है। अतः हमारा निवेदन है कि इस मामले में तत्काल समुचित कार्यवाही करते हुए उक्त श्रम हितकारी केन्द्र के समस्त भवन का कब्जा श्रम न्यायालय प्रथम एवं द्वितीय गाजियाबाद को तुरन्त प्रभाव से हस्तगत करायें।

जानें किस सेक्टर को मिला कितना आवंटन और किसे मिली प्राथमिकता

बजट आवंटन (करोड़ रुपये में)			
सेक्टर	2019-20	2018-19	2017-18
कृषि	1,40,764	57,600	51,026
रेलवे	66,769	55,088	55,000
डिफेंस	4,31,011	4,04,365	3,59,854
इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,46,923	1,27,812	1,19,399
शिक्षा	93,848	85,010	79,686
स्वास्थ्य	65,038	53,506	50,281
सोशल सेक्टर	2,15,212	1,94,393	1,79,836

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

पीयूष गोयल ने अपने अंतरिम बजट में लगभग हर सेक्टर्स को सौगात देने की कोशिश की है। मिडिल क्लास को टैक्स राहत देने के साथ ही गोयल ने अपने बजट में किसानों और मजदूरों को खुश किया है। वहीं अपने बजट में पीयूष गोयल ने हाउस प्रॉपर्टी पर तीन बड़ी राहतें भी दी हैं। गोयल ने अपने अंतरिम बजट में हर सेक्टर को ठीक ठाक आवंटन की घोषणा की है। हम इस खबर के माध्यम से आपको सेक्टर के आधार पर आवंटन की जानकारी दे रहे हैं। जानिए किस सेक्टर को मिला कितना पैसा। गौरतलब है कि यह वर्तमान सरकार का आखिरी बजट था, अब नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी।

उद्योग विहार

निष्पक्ष पाक्षिक समाचार पत्र

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, फरवरी, 2019

नोएडा के चीफ फायर ऑफिसर अरुण कुमार सिंह से 'एल.एल.ए.ए.यू.पी.' की बैठक

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

नोएडा। नोएडा के चीफ फायर ऑफिसर अरुण कुमार सिंह से "एल.एल.ए.ए.यू.पी." की एक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें छोटे एवं मध्यम उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों को अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाणपत्र से मुक्त करने की प्रार्थना की गयी तथा कहा गया की छोटे एवं मध्यम व्यापारी किसी तरह छोटी पूँजी से अपना व्यापार शुरू करते हैं जबकि अग्निशमन विभाग से अना. पत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अग्निशमन के लिए जिन व्यवस्थाओं का इंतजाम करना पड़ता है उस इंतजाम को करने में ही 20 से 25 लाख रुपये का खर्च आता है जो की किसी भी नए एवं छोटे व्यापारी के लिए बहुत ही बड़ी रकम है. अतः इनको छूट प्रदान की जानी चाहिए. या कुछ ऐसे इंतजाम करने चाहिए की इन लोगों को अग्निशमन व्यवस्था के लिए महँगे इंतजाम ना करने पड़ें.

इस पर अरुण कुमार सिंह ने कहा की यह व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है आप इसके लिए हमारे डीजी को लिखिए. हम तो जो एक्ट में लिखा है उसका पालन करवाते हैं. अग्निशमन विभाग ने कारखानों को हलके, मध्यम एवं अत्यन्त खतरनाक श्रेणी में विभाजित कर रखा है.

Board Classification Of Industrial Occupancies Into Different Degree Of Hazard

Light Hazard

Abrasive Manufacturing Premises
Aerated Water Factories
Agarbatti Manufacturing
Areca Nut Slicing and/or Betel nut Factories
Analytical and/or Quality Control Laboratories
Asbestos Steam Packing and Lagging Manufacturing
Battery Charging/Battery Service Stations
23oC
Battery Manufacturing
Breweries
Brick Works
Canning Factories
Cardamom Factories
Cement Factories and/or Asbestos or Concrete Products Mnufacturing
Ceramic Factories and Crockery and Stoneware Pipe Manufacturing
Clay Work

Clock and Watch Manufacturing
Coffee Curing Roasting and Grinding Premises
Condensed Milk Factories,Milk Pasteurising Plants and Dairies
Confectionery Manufacturing

Electric Generating Houses (Hydro electric)
Electric Lamps (Incandescent and Fluorescent) and TV Picture Tube Manufacturing
Electro Planting Works
Engineering Workshops

Fruits and Vegetables Dehydrating and Drying Factories
Fruit Products and Condiments Factories
Glass and Glass Fibre Manufacturing

Godowns and Warehouses Storing Non-combustible Goods Only
Green Houses

Gold Thread /Gilding Factories
Gum and /or Glue and Gelatine Manufacturing

Ice, Ice Candy and Ice -Cream Manufacturing
Ink (Excluding Printing Ink) Factories
Mica Products Manufacturing
Poultry Farms
Salt Crushing Factories and Refineries

Stables

Sugar Candy Manufacturing
Sugar Factories and Refineries
Tanneries /Leather Goods Manufacturing
Umbrella Assembling Factories

Vermicelli Factories
Water Treatment /Filtration Plants and Water Pump Houses
Zinc / Copper Factories

Moderate Hazard

Alumnium Factories
Atta And Cereal Grinding
Bakeries And Biscuit Factories
Beedi Factories
Bobbin Factories
Bookbinders, Envelopes and Paper Bag Manufacturing
Cable Manufacturing

Camphor Boiling
Candle Works
Carbon Paper/Typewriter Ribbon Manufacturing
Cardboard Box Manufacturing
Carpenters, Wood Wool and Furniture Manufacturing
Carpet and Durries Factories
Cashewnut Factories
Chemical Manufacturing using raw materials having flash points above 23oC
Cigar and Cigarette Factories
Coir Factories
Coir Carpets, Rugs, Tobacco, Hides and Skin Presses
Cold Storage Premises

Cork Products Manufacturing
Dry Cleaning, Dyeing and Laundries

Electric Substations/Distribution Stations
Electric Generating Stations
(Other than Underground Power houses)
Enamelware Factories
Filter and Wax Paper Manufacturing
Flour Mills

Garages
Garment Makers

Ghee Factories (Other than Vegetable)
Godowns and Warehouses
(Other than those Under Light and High Hazard A Categories)
Grain and / Or Seeds Disintegrating and /or Crushing Factories
Grease Manufacturing
Hosiery, Lace, Embroidery and Thread Factories
Incandescent Gas Mantle Manufacturing
Industrial Gas Manufacturing
(Inert / Halogenated hydcocarbon gases)
Man- made Yarn/ Fibre Manufacturing
(Other than Acrylic Fibers / Yarn Manufacturing)
Manure and Fertilizer Works (Blending , Mixing and granulating)
Mineral Oil Blending and Processing
Oil and Leather Cloth Factories
Oil Terminals /Depots Other than those Categorised under High Hazard A
Open storage of Flammable Liquids in Drums, Cans, etc.
Oxygen Plants
Paper and Cardboard Mills with Raw Material Yards
Piers, Wharves, Jetties and Dockyards other than those Categorized Under High Hazard A
Plastic Goods Manufacturing

Plywoood/Wood Veneering Factories
Printing Press Premises
Pulverising and Crushing Mills
Rices Mills
Rope Works
Rubber Goods Manufacturing
Rubber Tyres and Tubes Manufacturing
Shellac Factories
Silk Filiatures
Soaps and Glycerine Factories
Spray Painting
Stagch Factories
Tea Factories
Textile Mills
Tobacco (chewing) and Pan -Masala Making
Tobacco Grinding and Crushing
Tobacco Redyring Factories
Woollen Mills

High Hazard

SUB CATEGORY (A)
Aircraft Hangers
Alumnium/Magnesium powder plants
Bituminised Paper and/or Hessian Cloth/Tar Felt Manufacturing
Cotton Waste Factories
Celluloids Goods Manufacturing
Chemical Manufacturing using raw materials having flash points below

Cigarette Filter Manufacturing
Cinema Films and T.V Production Studios
Coal and/or Coke and/or Charcoal Ball and Briquettes Manufacturing
Collieries
Cotton seeds Cleaning or De-linting Factories
Distilleries
Duplicating/Stencil Paper Manufacturing
Fire-works Manufacturing

Foam Plastics Manufacturing and/or Converting Plants
Godowns and Warehouses (Storing Combustible/Flammable Goods)
Grass, Hay, Fodder and Bhoosa (chaff) Pressing Factories
Industrial Gas Manufacturing
(Other than Inert/Halogenated Hydrocarbon Gases)
Jute Mills and Jute Presses
Linoleum Factories

LPG Bottling Plants (Mini)
Man Made Fibres (Acrylic Fibres/yarn Manufacturing)

Match Factories
Mattress and Pillow Marking
Metal or Tin Printer (where more than 50 Percent of floor area is occupied as Engineering Workshop ; this may be taken as ordinary hazard risk)
Oil Mills
Oil Terminals /Deports handling flammable Liquirds having flash points of 23°C and Below
Paints and Varnish Factories
Paper and Cardboard Mills having raw material yards

Piers , Wharves and Jetties - Handling Extra Hazardous Materials
Printing Ink Manufacturing
Rosin Lamp -Black and Turpentine Factories
Saw Mills
Sponge Iron Steel Plants (Gas Based)

Surgical Cotton Manufacturing

Tarpaulin and Canvas Proofing Factories
Turpentine and Rosin Distilleries
Tyre Retreading and Resoling Factories
SUB CATEGORY(B)

Ammonia and Urea Synthesis Plants
CNG Compressing and Bottling Plants
Coal Based Methane Plants
Explosive Factorises

NOTE - In case of complexes having separate plants having varying degrees of hazard,authorthy having jurisdiction shall be consulted to decide on level of protection to be provided

मेरठ पीएपफ विभाग के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

गाजियाबाद। मेरठ पीएफ विभाग के कुछ अधिकारियों ने कंपनियों में घूम–घूमकर केवाईसी के नाम पर कंपनी मालिकों को धमकाकर वसूली अभियान चला रखा है। जिसका खामियाजा व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत सारे कर्मचारियों की जन्मतिथि या उनके नाम में परिवर्तन तथा कई कर्मचारियों के लिंग में परिवर्तन करवाने के लिए लोगों को मेरठ के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी उनका काम नहीं हो पा रहा है। जिसकी वजह से केवाईसी अपडेट नहीं हो पा रही है। पूरे–पूरे दिन विभाग का सर्वर ठप्प रहता है। जिसकी वजह से पीएफ के पोर्टल पर कोई काम नहीं हो पा रहा है तथा नियोक्ताओं के साथ–साथ श्रमिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पीएफ के अधिकारी सिर्फ वसूली में ही लगे हुए हैं।

स्टीकर लगे फल बेचे तो दो लाख जुमार्ना

उद्योग विहार (फरवरी–2019)

कानपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त ने स्टीकर लगे फल बेचने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विभाग से आठ दिन का जागरूकता अभियान शुरू कर फल विक्रेताओं को हिदायत देनी शुरू कर दी है। दस दिन बाद स्टीकर लगे फल बिक्री करते मिले तो दुकानदारों का चालान होगा। कई फलों खासकर सेब और संतरे पर स्टीकर लगाकर बेचे जाते हैं। हाल ही में केरल में जांच में खुलासा हुआ कि स्टीकर लगे फल खाने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। स्टीकर चिपकाने के लिए हानिकारक गोंद का इस्तेमाल होता है। इसमें केमिकल होते हैं। स्टीकर लगे स्थान वाले फल का हिस्सा भी इसके असर में आ जाता है। इसके बाद केरल में ऐसे फलों का बिक्री पर रोक लगा दी गई। अभिहित अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि अब खाद्य आयुक्त ने प्रदेश में भी स्टीकर लगे फलों की बिक्री रोक दी है।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह